

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा


क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)सं.प.अ./ 05 /2019

दिनांक 05.02.2019

श्रीमती अनु चौधरी (RJ0439), अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम-02, अलवर को दिनांक 04.02.2019 से 30.03.2019 तक 55 दिनों का संतान परवरिश अवकाश (Child Care Leave) दिनांक 03.02.2019 एवं 31.03.2019 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है ।

श्री बृजेश कुमार (RJ0556), विशिष्ट न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अ.नि.प्र.), अलवर को श्रीमती अनु चौधरी के उक्त अवकाश अवधि के दौरान अपने पद के कार्य के साथ-साथ अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम-02, अलवर के पद का अतिरिक्त कार्यभार सम्पादित किये जाने हेतु एतद्वारा पदस्थापित / नियुक्त कर निम्नलिखित निर्देश दिये जाते हैं :-

- (1) ऐसे प्रकरणों, जिनमें अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में हैं और उच्चतर न्यायालयों द्वारा समयबद्ध निस्तारण के आदेश पारित हैं, का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जावे ।
- (2) श्री बृजेश कुमार(RJ0556), जिनको अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम-02, अलवर के अतिरिक्त कार्यभार के लिए नियुक्त किया गया है, को उक्त न्यायालय के कार्य का निस्तारण निर्धारित मापदण्ड के अनुसार कम से कम 40% किया जाना आवश्यक है ।


आज्ञा से

05.2.19
रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक :- स्था.बी.र(4)/72/2002/1319

दिनांक 05.02.2019

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर ।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, अलवर को उनके पत्रांक 3095 दिनांक 01.02.2019 के सन्दर्भ में ।
3. श्रीमती अनु चौधरी (RJ0439), अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम-02, अलवर ।
4. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम-02, अलवर ।
5. श्री बृजेश कुमार (RJ0556), विशिष्ट न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अ.नि.प्र.), अलवर ।
6. संबंधित कोषालय ।
7. संबंधित लिपिक/स्थानान्तरण-पदस्थापन लिपिक, आर. जे. एस. (स्था.) शाखा रा.उ.न्या., जोधपुर ।


5.2.2019
सहायक रजिस्ट्रार